राष्ट्रपति का अभिभाषण
तथा धन्यवाद प्रस्ताव

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा धन्यवाद प्रस्ताव सम्बन्धी प्रक्रिया का वर्णन है। यह भारत के संविधान, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों और अध्यक्ष तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए विनिर्णयों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

राष्ट्रपति का अभिभाषण
तथा धन्यवाद प्रस्ताव

राष्ट्रपति का अभिभाषण

भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संसद की किसी एक सभा के समक्ष या एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष अभिभाषण किये जाने का प्रावधान है। राज्याध्यक्ष द्वारा संसद में अभिभाषण करने का यह प्रावधान, भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत वर्ष 1921 में पहली बार स्थापित किये गये केन्द्रीय विधानमंडल के समय से चला आ रहा है।

2. राष्ट्रपति निम्नलिखित दो स्थितियों में संसद के एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष या किसी एक सभा के समक्ष अलग-अलग अभिभाषण कर सकते हैं:—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 86(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति, संसद की किसी एक सभा में या एक साथ समवेत दोनों सभाओं में अभिभाषण कर सकते हैं और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकते हैं। तथापि, संविधान के प्रारम्भ से अब तक, राष्ट्रपति ने इस अनुच्छेद के प्रावधान के अन्तर्गत संसद की किसी एक सभा में या एक साथ समवेत दोनों सभाओं में अभिभाषण नहीं किया है।

1

(दो) भारत के संविधान के अनुच्छेद 87(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति, लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन होने के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में एक साथ समवेत दोनों सभाओं में अभिभाषण करेंगे और संसद को इस सत्र के आह्वान के कारण बताएंगे।

लोक सभा के अनिश्चित काल तक स्थगित हो जाने के बाद जब सत्रावसान नहीं होता है और बाद में अगले कैलेण्डर वर्ष में सभा पुनः समवेत होती है, तो राष्ट्रपति, ऐसे मामलों में, एक साथ समवेत दोनों सभाओं में अभिभाषण नहीं करेंगे।

अभिभाषण की विषय-वस्तु

3. चूंकि इसमें सरकार की नीति का विवरण होता है, इसलिए अभिभाषण का प्रारूप सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, जो इसकी विषय-वस्तु के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें पिछले वर्ष के सरकार के कार्य-कलापों और उपलब्धियों की समीक्षा होती है और महत्वपूर्ण आन्तरिक और विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का निरूपण होता है। इसमें उन विधायी कार्यों की मुख्य मदों का भी उल्लेख होता है, जिन्हें उस वर्ष के दौरान होने वाले सत्रों में संसद में लाने का विचार होता है।

2

अभिभाषण की तिथि का नियतन

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति का अभिभाषण नियमित रूप से होता है। लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के होने के पश्चात् प्रथम सत्र की दशा में राष्ट्रपति, सदस्यों द्वारा शपथ लिये जाने या प्रतिज्ञान किये जाने और अध्यक्ष के चुने जाने के पश्चात् एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं में अभिभाषण करते हैं। इन प्रारम्भिक औपचारिकताओं को पूरा करने में साधारणतया दो दिन लग जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं में अभिभाषण किये जाने तक कोई अन्य कार्य नहीं किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की दशा में, राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद की दोनों सभाओं के सत्रारम्भ हेतु अधिसूचित समय और तिथि को होता है।

5. सदस्य जिन्होंने शपथ न ली हो या प्रतिज्ञान न किया हो—उन सदस्यों को, जिन्होंने शपथ न ली हो या प्रतिज्ञान न किया हो, निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्वाचन प्रमाणपत्र दिखाने पर या शपथ ले चुके या प्रतिज्ञान कर चुके किसी वर्तमान सदस्य द्वारा पहचान कराये जाने पर या आमंत्रण-पत्र दिखाने पर अभिभाषण के अवसर पर केन्द्रीय कक्ष में आने दिया जाता है।

अभिभाषण से संबंधित समारोह

6. एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं में राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के अधीन एक गरिमापूर्ण एवं औपचारिक कृत्य है। इस अवसर के अनुकूल अत्यधिक गरिमा और शालीनता

अपनाई जाती है। किसी सदस्य के द्वारा किया गया कोई कार्य जिससे राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर की गरिमा भंग हो या उसमें कोई बाधा पड़े, उस सभा द्वारा, जिसका वह सदस्य है, दण्डनीय है।

7. राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में कतिपय औपचारिकताओं का पालन किया जाता है। संसद की दोनों सभाओं के सदस्य संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के आगमन से कम से कम पांच मिनट पहले समवेत होते हैं। केन्द्रीय कक्ष में आगे की दो या तीन पंक्तियों के स्थान प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्य सभा उपसभापति, लोक सभा उपाध्यक्ष और राज्य सभा तथा लोक सभा में विपक्षी दलों तथा ग्रुप के नेताओं के लिए आरक्षित होते हैं। केन्द्रीय कक्ष में मार्गवीथि के दोनों तरफ 1 से 8 सेक्टर की दूसरी पंक्ति के स्थान सभापति तालिका के सदस्यों तथा संसदीय समितियों के सभापतियों के लिए आरक्षित होते हैं। सदस्य शेष स्थानों पर, जो आवंटित या नियत नहीं होते, कहीं भी बैठ सकते हैं। सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान केन्द्रीय कक्ष से बाहर न जाएं।

8. राष्ट्रपति राजकीय बग्घी या कार में बैठकर द्वार संख्या 5, संसद भवन पहुंचते हैं और द्वार पर राज्य सभा के सभापति, प्रधान मंत्री, लोक सभा के अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और दोनों सभाओं के महासचिव उनका स्वागत करते हैं। तत्पश्चात् राष्ट्रपति को जुलूस के रूप में केन्द्रीय कक्ष में ले जाया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति का जुलूस केन्द्रीय कक्ष में प्रवेश करता है, मार्शल राष्ट्रपति के आगमन की घोषणा करता है। इसके साथ ही मंच के ऊपर

दीर्घा में खड़े दो तुरहीवादक राष्ट्रपति के मंच पर अपने स्थान पर पहुंचने तक तुरहीवादन करते हैं। उस समय सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर उठकर खड़े हो जाते हैं और तब तक खड़े रहते हैं, जब तक कि राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते हैं/लेती हैं। इसके तुरंत बाद केन्द्रीय कक्ष की किसी एक लॉबी में अवस्थित राष्ट्रपति भवन के बैंड द्वारा राष्ट्रीयगान की धुन बजाई जाती है। फिर राष्ट्रपति हिन्दी या अंग्रेजी में अपना अभिभाषण करते हैं/करती हैं। अभिभाषण का रूपान्तरण राज्य सभा के सभापति द्वारा पढ़ा जाता है। अभिभाषण समाप्त होने पर राष्ट्रीयगान की धुन पुनः बजाई जाती है। तत्पश्चात् राष्ट्रपति अपने आगमन के समान एक जुलूस के रूप में केन्द्रीय कक्ष से प्रस्थान करते हैं/करती हैं। सभी सदस्य तब तक खड़े रहते हैं, जब तक कि जुलूस केन्द्रीय कक्ष के बाहर नहीं चला जाता। राष्ट्रपति द्वार पर पहुंच कर राज्य सभा के सभापति, प्रधान मंत्री, लोक सभा के अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और दोनों सभाओं के महासचिवों से विदा लेते हैं/लेती हैं।

अभिभाषण की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना

9. राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण को सभा की कार्यवाही का अंग बनाने तथा उसमें शामिल करने के प्रयोजनार्थ दोनों सभाएं अभिभाषण की समाप्ति के आधा घंटे बाद अपनी-अपनी सभा में अलग बैठकें करती हैं और राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण की विधिवत् सत्यापित हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति महासचिव द्वारा अपनी सभा के पटल पर रखी जाती है। तत्पश्चात्, अभिभाषण

की हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रतियां सदस्यों को लॉबी में तथा प्रकाशन फलक से उपलब्ध कराई जाती हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव

चर्चा का क्षेत्र

10. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 17 के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद-प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा की जाती है। प्रस्ताव का प्रारूप इस प्रकार का होता है:—

> ''कि इस सत्र में समवेत लोक सभा सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने (दिनांक)..... को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।''

11. चर्चा के लिए नियत दिनों में, सभा अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर सुविधानुसार चर्चा कर सकती है। अभिभाषण पर चर्चा की विस्तृति बहुत व्यापक होती है और सदस्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की समस्याओं पर बोल सकते हैं। यहां तक कि उन मामलों पर भी, जिनका उल्लेख अभिभाषण में विशिष्ट रूप से नहीं होता, धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों के माध्यम से चर्चा की जाती है। इसके संबंध में एकमात्र प्रतिबंध यह है कि सदस्य एक तो उन मामलों का उल्लेख नहीं कर सकते जिनके लिए केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्षत: उत्तरदायी नहीं है और दूसरा यह

कि वह वाद-विवाद के दौरान राष्ट्रपति का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अभिभाषण की विषय-वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है, न कि राष्ट्रपति।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव में संशोधन

12. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव में संशोधनों की सूचनाएं राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिए जाने के पश्चात् दी जा सकती हैं। संशोधन उन विषयों के बारे में दिये जाते हैं, जिनका उल्लेख अभिभाषण में किया गया हो तथा ऐसे विषयों के बारे में भी दिये जा सकते हैं जिनका उल्लेख, सदस्य की राय में, अभिभाषण में किया जाना चाहिए था। धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जो अध्यक्ष द्वारा उचित समझे जायें।

(ब्यौरे के लिए कृपया संसदीय प्रक्रिया सारांश-माला, संख्या-2 देखिए)

धन्यवाद-प्रस्ताव पर चर्चा

13. धन्यवाद-प्रस्ताव पर चर्चा सभा द्वारा स्वयं या कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश पर आवंटित 3 या 4 दिन होती है। यह चर्चा प्रस्ताव के प्रस्तावक द्वारा आरम्भ की जाती है और उसके बाद प्रस्ताव का समर्थक बोलता है। प्रस्ताव के प्रस्तावक तथा समर्थक के नामों का चयन प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है, और ऐसे प्रस्ताव की सूचना संसदीय कार्य-मंत्री के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके पश्चात्, संशोधन पेश किये जाते हैं। इस प्रकार आवंटित समय का बंटवारा विभिन्न दलों तथा गुटों के लिए सभा

में उनकी संख्या के अनुपात में किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रधान मंत्री या अन्य किसी मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने पर समाप्त हो जाती है। अन्य प्रस्तावों के असदृश, प्रस्तावक या समर्थक को अन्त में उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके तुरन्त बाद संशोधन निपटाये जाते हैं और धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा स्वीकृत किया जाता है।

राष्ट्रपति को सभा द्वारा स्वीकृत धन्यवाद-प्रस्ताव की सूचना

14. धन्यवाद-प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के पश्चात्, अध्यक्ष द्वारा एक पत्र के माध्यम से उसकी सूचना सीधे राष्ट्रपति को दी जाती है।

राष्ट्रपति से संदेश

15. राष्ट्रपति भी प्रस्ताव की पावती की सूचना अध्यक्ष को भेजता है। संदेश मिलने पर अध्यक्ष सभा को वह संदेश पढ़ कर सुनाता है। सभा के अनिश्चित काल तक स्थगित हो जाने के बाद जब धन्यवाद-प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो सदस्यों को सूचना देने के लिए इसे समाचार-पत्र, भाग-दो में प्रकाशित किया जाता है।

[राष्ट्रपति का अभिभाषण और धन्यवाद-प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 86 (1) और 87 (1) तथा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 16 से 24 के अन्तर्गत दिये जाते हैं।]